[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 6/2017- एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 **आषाढ़**, 1939 **शक**

सा.का.नि. .... **(अ)**--केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिवर्ष ब्याज दर नियत करती है ।

सारणी

क्रम सं0	**धारा**	**ब्याज दर** (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	18
2.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	24
3.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (12) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	6
4.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	6
5.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56 के परंतुक के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	9

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार